न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01 / 2025
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

अनिल पुत्र रामधवन यादव खुशबू होटल, इण्डेन गैस एजेंसी के पास, चुंगी नाका न. 8 हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांक: –16.06.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2025 को मुझ बाबूलाल जानू प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जांच बाबत् खुशबू होटल इण्डेन गैस एजेंसी के पास, चुंगी नाका नं. 8 हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड, हनुमानगढ़ जं. पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री अनिल पुत्र श्री रामधवन यादव ने स्वयं को उक्त होटल का मालिक बताया तथा मौके पर उपस्थित रहकर जांच करवायी। जांच के दौरान एक घरेलू गैस सिलेण्डर बर्नर से जुड़ा तथा चालू हालत में पाया गया। पूछताछ में बताया कि भोजन तैयार कर विक्रय किया जाता है तथा विक्रय की गई सामग्री का मूल्य वसूल किया जाता है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3(1) (ग) का उल्लघंन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत मौके पर पाया गया इण्डेन गैस कम्पनी का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया तथा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर श्री महेश दत्ता प्रबंधक हनुमानगढ़ गैस एजेंसी, हनुमानगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे तथा विस्फोटक सामग्री होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.05.2025 को नोटिस जारी हो चुके है, परन्तु दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये इण्डेन कम्पनी के 1घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त इण्डेन कम्पनी का 1 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर इण्डेन कम्पनी का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3(1)(ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा इण्डेन कम्पनी का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ